

परियोजना का नाम :- ऋषीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0 /   
प्रयोक्ता, एजेन्सी  
Executive Engineer  
Const. Division  
Uttarakhand Peyjal Sanshadhan Vikash  
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag

  
उप निरीक्षक  
रुद्रप्रयाग नगर पंचायत  
प्रमाणित वृक्षाधिकारी  
रुद्रप्रयाग

  
वन क्षेत्राधिकारी  
अगस्त्यमुनि

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-17.1

परियोजना का नाम:- रूखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर ~~वृक्ष~~ वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह0/-  
प्रभागीय वनाधिकारी

  
वन क्षेत्राधिकारी  
अगस्त्यमुनि

ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
Const. Division  
Uttarakhand Peyjal Sanshadhan Vikash  
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag



नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

  
उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग